



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052026-272855
CG-DL-E-25052026-272855

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2533]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 2026/ज्येष्ठ 4, 1948

No. 2533]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 2026/JYAISTHA 4, 1948

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2026

का.आ. 2625(अ).— केंद्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 6) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 26 मई, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात्: -

1. धारा 2 से 6 (दोनों शामिल);
2. धारा 8 से 33 (दोनों शामिल);
3. धारा 34 के खंड (क) के उपखंड (iii) और खंड (ख);
4. धारा 35 से 39 (दोनों शामिल);
5. धारा 41;
6. धारा 43 से 44 (दोनों शामिल);
7. धारा 46;
8. धारा 48 से 59 (दोनों शामिल);

9. धारा 61 से 66 (दोनों शामिल);
10. धारा 68;
11. धारा 69 का खंड (क);
12. धारा 70 का खंड (क);
13. धारा 70 के खंड (ख) के उपखंड (i) से उपखंड (xxvi) [धारा 70 के खंड (ख) के उपखंड (xx) के सिवाय]; और
14. धारा 72;

[फा. सं. दिवाला 30/8/2025- दिवाला -एमसीए]

अनीता शाह आकेल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2026

S.O. 2625(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2026 (6 of 2026), the Central Government hereby appoints the 26th day of May, 2026, as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely: –

1. sections 2 to 6 (both inclusive);
2. sections 8 to 33 (both inclusive);
3. sub-clause (iii) of clause (a) and clause (b) of section 34;
4. sections 35 to 39 (both inclusive);
5. section 41;
6. sections 43 to 44 (both inclusive);
7. section 46;
8. sections 48 to 59 (both inclusive);
9. sections 61 to 66 (both inclusive);
10. section 68;
11. clause (a) of section 69;
12. clause (a) of section 70;
13. sub-clause (i) to sub-clause (xxvi) of clause (b) of section 70 [Except sub-clause (xx) of clause (b) of section 70]; and
14. section 72.

[F. No. Insol-30/8/2025-Insolvency-MCA]

ANITA SHAH AKELLA, Jt. Secy.